यस बैंक-YuvaPay प्रीपेड वॉलेट के लिए
नियम और शर्तें

नियम और शर्तें (इसके बाद "नियम और शर्तों" के रूप में संदर्भित) यहां उल्लिखित "**प्रीपेड कार्ड/वॉलेट**" के इस्तेमाल के लिए लागू है, और इसके उपयोग से पहले इन पर सहमति और स्वीकार किया जाना आवश्यक है। नीचे दर्शाए गए नियम और शर्तें पूरे समझौते को संचालित और गठन करते हैं और/ या "**प्रीपेड कार्ड/वॉलेट/ "** के संबंध में आपके और यस बैंक और आपके बीच के प्रबंध, यस बैंक लिमिटेड के पूर्ण विवेकाधिकार में है जैसा कि समय-समय पर संशोधित है।

"**प्रीपेड कार्ड/ वॉलेट "** प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर प्रक्रिया पूरी करके, आपने यहां उल्लेख किए गए प्रत्येक नियम और शर्तों को स्पष्ट रूप से पढ़ा, समझा और स्वीकार करने का आप निर्णय ले रहे हैं। आप यहां उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत हैं, यस बैंक लिमिटेड के विवेकाधिकार पर इनको समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

I. <u>परिभाषाएं</u>

इस नियम और शर्तों में, जब तक प्रतिकूल इरादा प्रकट नहीं होता है और/ या अन्यथा संदर्भ से आवश्यक है, पूंजीकृत शब्द द्वारा परिभाषित: (i) उद्धरण में शामिल और/ या कोष्ठक के पास अर्थ हैं, जोकि सम्बंधित हैं; और (ii) यहां नीचे दी गयी शब्दावली के नीचे उन्हें दिए गए अर्थ निम्न होंगे :

a) "अकाउंट" या "कार्ड अकाउंट" का मतलब प्रीपेड अकाउंट के साथ ऐसी पीपीआई पर लोड की गई शेष खाता राशि के बराबर होता है, इसका उद्देश्य ऐसे पीपीआई पर उपलब्ध सीमाओं की निगरानी है।

b) "आवेदन पत्र" का अर्थ इस संदर्भ में अनुमति या आवश्यकता हो सकता है, ग्राहक द्वारा आवेदन करने के लिए यस बैंक को प्रस्तुत प्रीपेड कार्ड/वॉलेट आवेदन फॉर्म और/ या प्रीपेड कार्ड/वॉलेट हासिल करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी, विवरण, स्पष्टीकरण और घोषणाओं के साथ यदि कोई जानकारी ग्राहक द्वारा प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के संबंध में समय-समय पर दी गयी हो।

c) "बिजनेस डे" का मतलब रविवार या सार्वजनिक अवकाश के अलावा एक दिन है, जोकि परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instrument Act) 1881 की धारा 25 के तहत परिभाषित है जिस पर बैंक बैंकिंग के कारोबार को संचालित करने के लिए खुलते हैं।

d) "शुल्क" का मतलब यस बैंक द्वारा प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के इस्तेमाल के लिए है लेवी, लागत और शुल्कों की उगाही है, जो समय-समय पर संशोधित होती है।

e) "नकद सीमा" का मतलब होगा वो अधिकतम नकद राशि जिसको ग्राहक प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का इस्तेमाल कर किसी भी दिन निकाल सकता है या ऐसी अवधि के लिए, जो समय-समय पर यस बैंक द्वारा निर्धारित कीया जा सकती है। बशर्ते किसी भी घटना में ऐसी राशि, ग्राहक द्वारा प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के उपयोग के आधार पर

कुल डेबिट कटौती करने के बाद, ग्राहक को जारी किए गए प्रीपेड कार्ड/वॉलेट में स्थानांतरित राशि से अधिक न हो।

f) "ग्राहक" या "धारक" का मतलब लागू कानूनों के तहत कोई भी व्यक्ति, सीमित देयता पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप, सोसाइटी, कंपनी या कोई अन्य संगठन या इकाई जो बैंक से पीपीआई प्राप्त करते / खरीदते हैं और इसका इस्तेमाल ऐसे उपकरणों पर संग्रहीत मूल्य के अनुरूप वित्तीय सेवाओं, प्रेषण सुविधाओं समेत सामानों और सेवाओं की खरीद आदि के लिए करते हैं।

g) "ग्राहक सेवा केंद्र" का मतलब प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के संबंध में ग्राहक द्वारा मांगी गयी जानकारियों और दर्ज करायी गयी शिकायतों के समाधान या ग्राहक द्वारा मांगे गए किसी भी विवरण या सूचना के लिए यस बैंक द्वारा प्रदान की गई प्रोग्राम फोन बैंकिंग सेवा है।

h) "कार्ड एग्रीमेंट" का अर्थ है कि ग्राहक द्वारा अपने कर्मचारियों / संविदा कर्मियों को प्रीपेड कार्ड/वॉलेट जारी करने के लिए यस बैंक के साथ हस्ताक्षरित और निष्पादित अनुबंध या व्यवस्था पत्र है जिसमें समय-समय पर किए गए संशोधन भी शामिल हैं।

i) "कार्ड" या "यस बैंक प्रीपेड कार्ड/वॉलेट" या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) का मतलब प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट ("पीपीआई" - कार्ड / वॉलेट) भुगतान उपकरण हैं जो कि दिसम्बर 29, 2017 को जारी किए गए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने और संचालन पर प्रधान निर्देश में परिभाषित हैं जो ऐसे उपकरणों पर संग्रहीत मूल्य के अनुरूप वित्तीय सेवाएं, प्रेषण सुविधाएं समेत सामानों और सेवाओं की खरीद आदि की सुविधा प्रदान करते हैं।

j) "ईडीसी" या "इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर" टर्मिनल, प्रिंटर, अन्य परिधीय और सहायक और आवश्यक सॉफ़्टवेयर का अर्थ है जिस पर प्रीपेड कार्ड/वॉलेट स्वाइप किया जा सकता है या लेनदेन शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

k) "इंटरनेट पेमेंट गेटवे" का अर्थ है कि प्रोटोकॉल के नियमानुसार यस बैंक द्वारा ग्राहक के सत्यापन के जरिए इंटरनेट के माध्यम से प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के माध्यम से भुगतान की अनुमति देनी होगी।

l) "केवाईसी" का मतलब अपने ग्राहक की पहचान के दिशानिर्देश होंगे जो कि समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, परिपत्र और सूचनाओं के मुताबिक, बैंक द्वारा अपने ग्राहक की पहचान और सत्यापन के उद्देश्य से अंगीकृत किया गया है।

m) "व्यापारी प्रतिष्ठान" का अर्थ भारत में स्थित ऐसे भौतिक प्रतिष्ठानों से होगा जो भंडारों, दुकानों, रेस्तरां, होटलों तक सीमित नहीं हैं, जो प्रीपेड कार्ड/वॉलेट या मास्टर कार्ड से भुगतान स्वीकार करते हैं।

n) "पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (पिन)" एक अंकीय पासवर्ड है जो कि यस बैंक द्वारा पीपीआई के साथ ग्राहक को प्रदान की गई किट का हिस्सा है।

o) "पेमेंट चैनल" का मतलब लेनदेन के विभिन्न तरीकों से होगा, जो समय-समय पर यस बैंक द्वारा सूचित किए गए ईडीसी / पीओएस टर्मिनल / कीओस्क / इंटरनेट पेमेंट गेटवे और विभिन्न अन्य तरीके शामिल हैं लेकिन सीमित नहीं हैं।

p) "पीओएस" या "प्वाइंट ऑफ सेल" का मतलब है कि भारत में व्यापारी प्रतिष्ठानों द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल जहां ग्राहक, वित्तीय सेवाओं, प्रेषण सुविधाओं आदि सहित सामानों और सेवाओं को खरीदने के उद्देश्य के लिए प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

q) "प्रोग्राम" का अर्थ होगा कि ग्राहक को प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का प्रस्ताव करने के लिए यस बैंक का कार्यक्रम।

r) "फीस / शुल्क की अनुसूची" का मतलब यस बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित फीस और शुल्कों का विवरण होगा जो इसकी वेवसाइट पर प्रदर्शित होगा और समय-समय पर संशोधित होगा।

s) "स्टेटमेंट" का अर्थ है प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के जरिए की गयी लेनदेन का एक मासिक विवरण जो कि यस बैंक के रिकॉर्ड में उपलब्ध, यस कार्ड के खाते में शेष राशि के साथ-साथ, प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के माध्यम से किए गए वित्तीय लेन-देन की जानकारी देता है।

t) "लेन-देन" का अर्थ है ग्राहक द्वारा जीआरपी प्रीपेड कार्ड पर भारत में मास्टरकार्ड से संबद्ध किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, यस बैंक एटीएम, अन्य बैंकों के एटीएम या इंटरनेट पर किया गया कोई भी लेन-देन है।

u) "लेन-देन सीमा" का मतलब खरीद का अधिकतम मूल्य होगा जिसे ग्राहक व्यापारी प्रतिष्ठान में या इंटरनेट पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दिन प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का इस्तेमाल करके यस बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम के अनुरुप किसी भी दिन या अवधियों पर भुगतान कर सकता है, बशर्ते कि किसी भी घटना में ग्राहक द्वारा दिए गए प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के उपयोग के अनुसार कुल जमा में कटौती करने के बाद ग्राहक को जारी किए गए प्रीपेड कार्ड/वॉलेट में स्थानांतरित राशि से अधिक कोई राशि नहीं दी जाएगी।

v) "वेबसाइट" का अर्थ यस बैंक के स्वामित्व, स्थापित और रखरखाव वाली यूआरएल: **www.yesbank.in** पर मौजूद वेबसाइट है या समय-समय पर कोई भी परिवर्तन या संशोधन होगा।

w) "यस बैंक" का अर्थ है यस बैंक लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन एक बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) के अन्तर्गत एक बैंकिंग कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय इंडियाबुल्स फाइनेंस सेंटर 2, 15 वीं मंजिल, एस बी रोड, एलफिंस्टन, मुंबई 400 013 में है।

II. व्याख्या

इन नियमों और शर्तों में, जब तक विरोधी इरादा प्रकट नहीं होता है:

a) "संशोधन" के लिए एक संदर्भ में एक अनुपूरक, संशोधन, नवीनता, प्रतिस्थापन या पुनर्मिलन शामिल है और "संशोधन" तदनुसार किया जाना है;

b) एक "अनुमति" या "स्वीकृति" में अधिकार, सहमति, भुगतान, अनुमोदन, अनुमति, समाधान, लाइसेंस, छूट, नत्थीकरण और पंजीकरण शामिल है;

c) "कानून" में किसी भी संविधान, क़ानून, नियम, विनियमन, अध्यादेश, निर्णय, आदेश, विधान, अधिकार, या किसी भी प्रकाशित निर्देश, दिशानिर्देश, आवश्यकता या सरकारी प्रतिबंध शामिल हैं या कानून के मुताबिक या किसी भी न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पूर्वगामी में से किसी भी द्वारा परिभाषित किसी भी निर्धारण या व्याख्या, चाहे वह आवेदन पत्र हस्ताक्षर करने या उसके बाद पेश करने की तारीख से या उसके बाद, और समय-समय पर संशोधित हो।

d) "फोर्स मेजेयर इवेंट" का अर्थ यस बैंक के विवेकी नियंत्रण से परे किसी भी कारण से हुई कोई घटना जिसमें बिना परिसीमन, संचार प्रणालियों की अनुपलब्धता, उल्लंघन, या प्रक्रिया या भुगतान या वितरण तंत्र में वायरस, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, भगवान द्वारा किये गये कार्य, नागरिक हंगामा, हमलों या किसी भी तरह की औद्योगिक कार्रवाई, दंगा, फसाद, युद्ध, सरकार के कार्य, कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर डेटा और भंडारण उपकरणों के अनधिकृत उपयोग, कंप्यूटर क्रैश, कंप्यूटर टर्मिनल या सिस्टम में कोई भी दुर्भावनापूर्ण खराबी, विनाशकारी या भ्रष्ट कोड या कार्यक्रम से प्रभावित हो रही मैकेनिकल या तकनीकी त्रुटियां/ असफलता या बाधित बिजली आपूर्ति, दूरसंचार आदि में त्रुटि या विफलताएं शामिल हैं।

e) एकवचन में बहुवचन और इसके विपरीत भी शामिल हैं;

f) इन नियमों और शर्तों में शीर्षकों को केवल संदर्भ की सुविधा के लिए डाला गया है

g) शब्दों के संदर्भ "शामिल" या "सहित" बिना किसी सीमा के लगाए जाएंगे;

h) लिंग के संदर्भ में महिला, पुरुष और नपुंसक लिंग के संदर्भ शामिल होंगे;

i) किसी भी मामले के लिए यस बैंक से अपेक्षित सभी अनुमोदन, अनुमति, सहमति या स्वीकृति के लिए पूर्व लिखित मंजूरी, अनुमति, सहमति या यस बैंक की स्वीकृति की आवश्यकता होगी;

j) यस बैंक और ग्राहक के बीच किसी भी मामले, घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य, सूचना, दस्तावेज, अधिकार, कार्यवाही, कार्य, चूक, दावों, उल्लंघन, अकरण या किसी भी मामले को लेकर असहमति या विवाद की स्थिति में यस बैंक की राय पूर्वगामी में से किसी भी भौतिकत्व के रूप में ग्राहक के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी।

III. नियम और शर्तों की उपयुक्तता:

a) सामान्य नियम और शर्तों के साथ-साथ यह नियम और शर्तें, प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के उपयोग के लिए ग्राहक और यस बैंक के बीच संपूर्ण अनुबंध करते हैं।

b) यस बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले ग्राहक को यस बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अधीन प्रीपेड कार्ड/वॉलेट जारी किया जाएगा।

c) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट अन्य व्यक्ति या पक्ष को हस्तांतरणीय नहीं होगा।

d) अधिकतम जमा शेष राशि, जिसे प्रीपेड कार्ड/वॉलेट पर अपलोड किया जा सकता है, केवल 10,000/- (केवल दस हजार रूपए) तक सीमित रहेगी।

e) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट केवल भारत में और भारतीय रुपयों में लेनदेन के लिए ही वैध होगा। प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का इस्तेमाल भारत के क्षेत्र के बाहर या विदेशी मुद्रा में किसी भी लेनदेन के लिए नहीं किया जा सकता।

f) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट यस बैंक की विशिष्ट संपत्ति है।

g) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के मिलने पर ग्राहक को तुरंत पिछले भाग पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। ग्राहक के हस्ताक्षर ना होने या बेमेल हस्ताक्षर होने पर यस बैंक बिना किसी चेतावनी या सूचना के किसी भी लेनदेन को अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

h) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का इस्तेमाल स्वचालित टेलर मशीन ("एटीएम") पर ग्राहक द्वारा प्रीपेड कार्ड/वॉलेट पर तय क्रेडिट सीमा में नकद राशि निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह semi closed लूप कार्ड्स है जिनका इस्तेमाल एटीएम से नकद निकासी के लिए नही किया जा सकता है।

i) यस बैंक प्रीपेड कार्ड/वॉलेट में मौजूद किसी भी शेष राशि पर कोई ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

j) यस बैंक ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रीपेड कार्ड/वॉलेट की समाप्ति से 45 दिन पहले ग्राहक को बताएगा या सूचित करेगा। ग्राहक को प्रीपेड कार्ड/वॉलेट की समाप्ति से पहले प्रीपेड कार्ड/वॉलेट पर उपलब्ध संपूर्ण क्रेडिट बैलेंस का उपयोग करना होगा। अगर ग्राहक वैधता अवधि के भीतर प्रीपेड कार्ड/वॉलेट पर उपलब्ध क्रेडिट बैलेंस का इस्तेमाल नहीं करता है, तो ग्राहक यस बैंक या ग्राहक के किसी अन्य बैंक खाते में बकाया राशि का रिफंड / स्थानांतरण के लिए यस बैंक से संपर्क कर सकता है। यदि ग्राहक तय अवधि के भीतर यस बैंक से संपर्क नहीं करता है, तो प्रीपेड कार्ड/वॉलेट पर उपलब्ध शेष बकाया राशि, नियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में एक फंड में स्थानांतरित की जाएगी।

IV. कार्ड का प्रचालन और इस्तेमाल

a) ग्राहक बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से यस बैंक को ग्राहक या संस्था को प्रीपेड कार्ड/वॉलेट देने या वितरित करने के लिए अधिकृत करता है, जो ग्राहक (ग्राहकों) को वितरित करेगी। यस बैंक ग्राहक को प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के वितरण के संबंध में संस्था के किसी भी कार्य या चूक के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

b) यस बैंक और व्यापारी प्रतिष्ठान, ग्राहक को बिना किसी भी पूर्व सूचना के, किसी भी समय किसी भी कारण से प्रीपेड कार्ड/वॉलेट की स्वीकृति को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

c) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का प्रामाणिक इस्तेमाल केवल व्यक्तिगत या आधिकारिक प्रायोजनों के लिए किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मामले में शुल्क व्यय हो सकता है। इसमें ऐसे व्यापारी प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ अतिरिक्त सेवा या अन्य सुविधा के लिए शुल्क शामिल है।

d) ग्राहक व्यापारी प्रतिष्ठान में हुए प्रत्येक लेन-देन के लिए सभी शुल्क पर्चियों पर हस्ताक्षर करेंगे और अपने पास रखेंगे। यस बैंक को ग्राहक को शुल्क पर्चियां या लेन-देन की प्रतियां देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ग्राहक द्वारा किसी भी अनुरोध पर विचार करने का यस बैंक के पास पूर्ण विवेकाधिकार पर होगा, बशर्ते ग्राहक ने लेनदेन की तारीख से पैंतालीस (45) दिनों के भीतर अनुरोध किया हो। ग्राहक सहमत है कि लेनदेन पर्चियों की प्रतियां प्रदान करने के लिए अतिरिक्त लागत या शुल्क लेने के लिए यस बैंक हकदार होगा।

e) किसी भी लेनदेन के संबंध में व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा लगाए गए कोई शुल्क या लागत का ग्राहक द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ प्रत्यक्ष रूप से निपटाना होगा। यस बैंक *प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप* से प्रधान व्यापारी की ओर से किसी भी कार्य या चूक के लिए, या लेनदेन के संबंध में उनके द्वारा लगाए गये शुल्क या लागत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

f) किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान के कारण डिवाइस त्रुटि या संचार लिंक गड़बड़ी के कारण सभी रिफंड और समायोजन मैन्युअल रूप से संसाधित किए जाएंगे और यस बैंक के लागू नियम, विनियमन और आंतरिक नीति के अनुसार, यस बैंक द्वारा सत्यापन के बाद कार्ड खाते में जमा किया जाएगा। ग्राहक सहमत है कि यस बैंक द्वारा विचाराधीन किसी भी विवादित राशि को ध्यान में रखे बिना किसी भी बाद के लेनदेन को केवल बैंक खाता (खातों) में उपलब्ध क्रेडिट शेष राशि के आधार पर स्वीकार किया जाएगा या सम्मानित किया जाएगा। ग्राहक के कार्ड अकाउंट में अपर्याप्त निधि के परिणामस्वरूप भुगतान निर्देशों का निरादर करने के कारण यस बैंक को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के कारण यस बैंक को क्षतिपूर्ति ग्राहक बिना शर्त करेगा। ग्राहक सहमत है कि ऐसे में बैंक को होने वाली नुकसान या क्षति की भरपाई यस बैंक कार्ड खाते से राशि काटकर करेगा।

g) ग्राहक यह स्वीकार करता है लेनदेन के लिए किसी भी अन्य भुगतान साधन का इस्तेमाल करते हुए लेनदेन विफल, वापसी, अस्वीकार या रद्द होने के मामले में धन वापसी प्रीपेड कार्ड/वॉलेट में नहीं की जा सकती है।

h) कार्ड सदस्य प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के संबंध में सभी लेन-देन हर समय अच्छे विश्वास में कार्य करने का उत्तरदायित्व लेता है। प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के किसी भी अवैध या गलत इस्तेमाल के लिए ग्राहक पूरी ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है। यहां निहित नियमों और शर्तों के उल्लंघन में और, किसी भी हानि, क्षति, ब्याज, रूपांतरण, किसी भी अन्य वित्तीय शुल्क के खिलाफ यस बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए ग्राहक प्रतिबद्ध और सहमत है जो कि ग्राहक के निहित नियमों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यस बैंक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो सकता है और / या भुगतना पड़ सकता है।

i) ग्राहक इससे सहमत है कि वह किसी भी सामान और सेवाओं के भुगतान (ओं) के लिए प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करेगा, जो लागू कानूनों के तहत अवैध है। प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का इस्तेमाल निषिद्ध या प्रतिबंधित उत्पाद की खरीद या सेवाओं के लिए नहीं किया जा सकता है, उदाहरण के लिए लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या निषिद्ध पत्रिकाओं, घुड़दौड़ के जुआ में भागीदारी, बिटकॉइन की खरीद, कॉल-बैक सेवाओं के लिए भुगतान आदि।

j) इस प्रकार ग्राहक स्वीकार करता है और सहमति देता है कि प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को रुपए 10,000/- (केवल दस हजार रूपए) से ज्यादा राशि के लिए भरा या फिर से भरा नहीं जाएगा।

k) इसके द्वारा ग्राहक स्वीकार करता है और सहमति देता है कि अगर प्रीपेड कार्ड/वॉलेट पर एक (1) वर्ष की लगातार अवधि में कोई लेनदेन नहीं होने पर प्रीपेड कार्ड/वॉलेट की वैधता के अधीन, यस बैंक द्वारा ग्राहक को नोटिस भेजने के बाद प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को यस बैंक द्वारा प्रमाणीकरण और आवश्यक उचित कर्मठता के बाद ही, यस बैंक द्वारा समय-समय पर तय शर्तों के अनुरूप फिर सक्रिय किया जा सकता है।

l) ग्राहक इसके द्वारा प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का उपयोग करके किए गए सभी लेनदेन की जानकारी के लिए एसएमएस प्राप्त करने या यस बैंक से ईमेल सूचनाएं पाने के लिए सहमत है। यस बैंक समय-समय पर एसएमएस या ई-मेल अलर्ट के ज़रिए डेबिट और क्रेडिट लेनदेन, प्रीपेड कार्ड/वॉलेट पर शेष राशि अन्य जानकारी या विवरण नियमानुसार उपलब्ध कराएगा।

m) ग्राहक सहमत है और पुष्टि करता है कि व्यक्तिगत पहचान संख्या ("पिन") की जानकारी किसी भी परिस्थिति में ग्राहक द्वारा किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों या तीसरे पक्ष को नहीं दी जानी चाहिए। ग्राहक, पिन के ऐसे अनधिकृत प्रकटीकरण और / या प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के अनधिकृत इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा। ग्राहक, प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के

अनधिकृत उपयोग के संबंध में या / या किसी भी नुकसान या क्षति से उत्पन्न यस बैंक की सभी जिम्मेदारी और देयता को अस्वीकार करता है, चाहे इस तरह के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप यस बैंक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से व्यय किया गया हो। यदि ग्राहक पिन को भूल या गलत जगह रखता है, तो ग्राहक को लिखित रूप में आवेदन करना चाहिए या फिर नए पिन के लिए ग्राहक सेवा केंद्र से तुरंत संपर्क करना चाहिए। नया पिन ग्राहक के पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा, जो यस बैंक के पास उपलब्ध है या दिया गया है।

n) ग्राहक सहमत है कि यस बैंक अपने संपूर्ण विवेकाधिकार से, अपनी सेवाओं के संबंध में जरूरी या आवश्यक बाहरी सेवाओं के प्रदाता/ओं या एजेंट/ओं की सेवाओं का उपयोग नियमानुसार कर सकता है।

o) ग्राहकों को वेबसाइट पर समय-समय पर, यस बैंक द्वारा अपलोड किए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ("FAQ") तक पहुंच होगी।

V. उल्लंघन

a) ग्राहक द्वारा इन नियमों और शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यस बैंक के पास प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को तुरंत रद्द या समाप्त करने का एकाधिकार होगा बिना यस बैंक पर कोई और दावा, मांग या विवाद के।

b) ग्राहक के निहित नियमों और शर्तो में किसी भी उल्लंघन के कारण जिसके परिणामस्वरूप यस बैंक को *प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप* से हानि, क्षति, दावे, जुर्माना, लागत, प्रभार या व्यय *(कानूनी सलाह शुल्क सहित)* के चलते यस बैंक को क्षतिपूर्ति करने और उत्तरादियत्व उठाने के लिए ग्राहक सहमत है।

VI. अवधि और समाप्ति

(a) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट मुद्रण की तिथि से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए या प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के मुख्य भाग पर दर्शायी गयी समाप्ति की तिथि तक वैध होगा।

(b) ग्राहक किसी भी तीसरे पक्ष को इसका इस्तेमाल करने से रोकने के लिए इसकी समाप्ति पर प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को नष्ट करने के लिए सहमत और वचनबद्ध है।

(c) ग्राहक, किसी भी समय, यस बैंक को तीस (30) दिनों की पूर्व लिखित सूचना देकर, प्रीपेड कार्ड/वॉलेट की समाप्ति के लिए अनुरोध कर सकता है। जमा करने और आपत्ति उठाना, ग्राहक के हॉट लिस्टिंग या प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को अवरुद्ध करने के लिए अनुरोध करने पर, प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को तत्काल प्रभाव से समाप्त और / या रद्द कर दिया जाएगा।

(d) ग्राहक समझता है कि जब तक प्रीपेड कार्ड/वॉलेट विकृत नहीं हो जाता है और उसको शीर्ष दाएं कोने से काटकर नष्ट नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी सूचना लागू नहीं होगी। यह सुनिश्चित करता है कि होलोग्राम और चुंबकीय पट्टी दोनों काट दिया गया है और नष्ट किया गया है या यस बैंक द्वारा प्राप्त किया गया है। ग्राहक इस बात से सहमत है कि ग्राहक, प्रीपेड कार्ड/वॉलेट की समाप्ति से पहले प्रीपेड कार्ड/वॉलेट पर लगाए गये शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे। इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि ग्राहक ने प्रीपेड कार्ड/वॉलेट नष्ट कर दिया है या दावा किया है।

(e) यस बैंक अपने विवेकाधिकार से प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को समाप्त कर सकता है

(i) घटना में ग्राहक के दिवालिया होने या ग्राहक की मृत्यु की घोषणा की जाती है।

(ii) ग्राहक द्वारा शर्तों, परिस्थितियों, अनुबंध या इन''नियमों और शर्तों'' के तहत उसके दायित्वों का उल्लंघन करने की स्थिति में "

(iii) किसी सक्षम कोर्ट के आदेश द्वारा ग्राहक पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध की स्थिति में या भारत की किसी भी जांच एजेंसी के किसी भी नियामक या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के कारण।

(iv) घटना में लागू कानून, नियम और दिशानिर्देश या परिपत्र के तहत प्रीपेड कार्ड/वॉलेट प्रोग्राम अवैध हो जाता है।

(v) घटना में संपूर्ण प्रीपेड कार्ड/वॉलेट प्रोग्राम समाप्त हो गया है।

(f) यस बैंक अपने विवेकाधिकार से, अस्थायी या स्थायी रूप से, प्रीपेड कार्ड/वॉलेट की सुविधा वापस लेने और/ या बिना किसी सूचना के या बिना कारण बताए, किसी भी समय प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अस्थाई वापसी के मामले में, प्रीपेड कार्ड/वॉलेट से जुड़े विशेषाधिकारों को अपने एकाधिकार पर यस बैंक द्वारा बहाल किया जाएगा। स्थायी निकासी के मामले में, यस बैंक को प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को स्थायी रूप से रद्द करने का अधिकार है। हालांकि, यह साफतौर पर स्पष्ट किया जाता है कि वापसी (अस्थायी या स्थायी) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट से जुड़े सभी लाभ, विशेषाधिकारों और सेवाओं की स्वचालित रूप से वापसी करेगा। ग्राहक इससे सहमत है कि प्रीपेड कार्ड/वॉलेट की अस्थायी या स्थायी वापसी की स्थिति में, ग्राहक इस तरह के निकासी से पहले प्रीपेड कार्ड/वॉलेट पर लगाए गए सभी शुल्क व अन्य सभी लागू प्रभार के साथ भुगतान के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे, जब तक कि यस बैंक द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया।

(g) अगर यस बैंक अस्थायी या स्थायी रूप से प्रीपेड कार्ड/वॉलेट की सुविधा वापस लेता है या समाप्त करता है, तो यस बैंक सर्वोत्तम प्रयास कर ग्राहक को तुरंत सूचित करेगा। यस बैंक ऐसी अधिसूचना की प्राप्ति में किसी भी देरी या अतिविलम्ब के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

(h) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट की समाप्ति पर ऊपर बताए गए के अनुसार, ग्राहक से लिखित अनुरोध मिलने पर अगर ग्राहक के कार्ड खाते में शेष राशि है, लागू शुल्क के भुगतान के हिसाब से ग्राहक को वापस किया जाएगा। इसके लिए ग्राहक के पक्ष में पे ऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके भेजा जाएगा। ग्राहक को शेष राशि की वापसी के लिए यस बैंक से लिखित अनुरोध करना होगा।

VII. नोटिस

ग्राहक को यस बैंक द्वारा भेजा नोटिस ग्राहक दवारा नोटिस की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर प्राप्त की मानी जाएगी। ग्राहक के पंजीकृत ई-मेल पते पर यस बैंक द्वारा ईमेल पर नोटिस या यस बैंक को दिये गये या उपलब्ध कराए गये डाक पते पर बैंक द्वारा नोटिस भेजी जाएगी।

ग्राहक द्वारा यस बैंक को भेजा गया कोई भी नोटिस केवल यस बैंक के कॉरपोरेट ऑफिस पता- 15वीं मंजिल, इंडियाबुल्स फाइनेंशियल सेंटर, सेनापति बापत मार्ग, एल्फिनस्टोन (पश्चिम) मुम्बई- 400013 पर पावती की रसीद पर यस बैंक द्वारा प्राप्त मानी जाएगी।

ग्राहक से कोई नोटिस या संचार यस बैंक पर बाध्यकारी नहीं होगा, जब तक कि वह लिखित रूप में यस बैंक द्वारा प्राप्त करना स्वीकार नहीं किया जाता या पंजीकृत डाक द्वारा, पावती कार्ड द्वारा भेजा गया हो।

VIII. शुल्क

a) शुल्क शामिल होंगे:

(a) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के संबंध में, यस बैंक द्वारा यदि प्रतिपूर्ति, नवीकरण, हैंडलिंग और अन्य फीस के रूप में कोई शुल्क लिया गया है। ये शुल्क गैर-वापसी योग्य, अस्तातंतरणीय और प्रकृति में गैर-आवंटित हैं।

(b) विशिष्ट प्रकार के लेनदेन पर सेवा प्रभार। इस तरह के शुल्कों की गणना की विधि समय-समय पर यस बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट: www.yesbank.in. /www.YuvaPay.com पर अधिसूचित होगी।

b) सभी शुल्क, घोषणा पत्र त्रुटि के अभाव में, ग्राहक पर अंतिम और बाध्यकारी होंगे और प्रकृति में निर्णायक होगा।

c) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के सम्बंध में सभी वैधानिक कर, सामान और सेवा कर, अन्य सभी आयात कर, शुल्क (प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के संबंध में अगर कोई स्टाम्प शुल्क और संबंधित पंजीकरण शुल्क) और समय समय पर सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा लगाए गये करों (किसी भी वर्णन के) को लगाया जा सकता है, वो ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा।

IX. नकद निकासी

a) ग्राहक जीपीआर प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का इस्तेमाल किसी भी यस बैंक एटीएम या सदस्य बैंक के एटीएम पर करके नकद निकासी नहीं कर सकता है।

X. प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का खोना, चोरी होना और दुरुपयोग:

a) यदि प्रीपेड कार्ड/वॉलेट खो गया या चोरी हो गया है तो ग्राहक को ग्राहक सेवा केंद्र पर अविलम्ब इस नुकसान या चोरी की सूचना देनी होगी और तुरंत प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को निलम्बित करने के लिए अनुरोध करना होगा।

b) ग्राहक द्वारा प्रीपेड कार्ड/वॉलेट खोने, चोरी होने या नष्ट होने की बात स्वीकार करने पर ऐसे प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, भले ही बाद में वह मिल गया हो।

प्रीपेड कार्ड/वॉलेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राहक की है और प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का दुरुपयोग ना हो ग्राहक को यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने होंगे। घटना में, यस बैंक किसी भी ऐसी जानकारी को निर्धारित करता है या प्राप्त करता है जिसमें ग्राहक ने प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को उपेक्षित या अस्वीकार कर दिया है या ऊपर बताए गये कदम उठाने में ग्राहक विफल रहता है तो प्रीपेड कार्ड/वॉलेट खोने, चोरी होने या नष्ट होने की स्थिति में यस बैंक के पास प्रीपेड कार्ड/वॉलेट को वापस लेने या निरस्त करने के सारे अधिकार सुरक्षित हैं।

c) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट खोने, चोरी होने या नष्ट होने की बात की सूचना ग्राहक द्वारा देने के बाद, प्रीपेड कार्ड/वॉलेट पर किए गए किसी भी अनधिकृत लेनदेन के लिए ग्राहक पर कोई दायित्व नहीं होगा। ग्राहक द्वारा प्रीपेड कार्ड/वॉलेट की सूचना देने के बाद सभी देनदारी यस बैंक द्वारा वहन की जाएंगी। हालांकि, प्रीपेड कार्ड/वॉलेट की रिपोर्टिंग और / या लेनदेन के समय से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के खोने, चोरी होने या दुरुपयोग होने के बाद सूचना देने पर यस बैंक के सभी फैसले अंतिम होंगे और ग्राहक पर बाध्यकारी होंगे।

XI. दायित्व का बहिष्कार

a) पूर्वगामी के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यस बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी भी हानि या क्षति के संबंध में, ग्राहक या किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई देनदारी या उत्तरदायित्व के अधीन नहीं होगा:

1. किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति में कोई खराबी
2. गुणवत्ता, उपयोगिता वारंटी, वितरण में विलंब, गैर सुपुर्दगी, किसी भी सामान या सेवाओं की गैर प्राप्ति के बारे में कोई भी विवाद;
3. प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का सम्मान या स्वीकार करने के लिए किसी भी व्यक्ति का इनकार
4. किसी कारण से प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का वांछित तरीके से काम नहीं करना या अगर एटीएम किन्हीं कारणों से काम नहीं कर रहा है
5. किसी कंप्यूटर टर्मिनल का खराबी
6. कोई प्राकृतिक आपदा की घटनाएं
7. प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का तीसरे पक्ष को हस्तांतरण
8. ग्राहक द्वारा प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का निष्कासन
9. यस बैंक द्वारा प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के पुनर्आधिपत्य के कारण ग्राहक को होने वाली किसी भी हानि या क्षति का आरोप।
10. ग्राहक से एक प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के लिए आवंटित राशि को लेकर इस संबंध में निर्देशों की प्राप्ति के बाद कोई विसंगति।
11. ग्राहक के अनुरोध पर प्रीपेड कार्ड/वॉलेट पर किए गए कोई भी परिवर्तन।

XII. विवादित लेनदेन

a) यस बैंक द्‌वारा भुगतान के लिए प्राप्त कोई शुल्क या लेनदेन पर्ची या अन्य भुगतान की मांग ऐसे प्रभार का निर्णायक प्रमाण होगा जब तक कि ग्राहक द्‌वारा प्रीपेड कार्ड/वॉलेट खोने, चोरी या धोखाधड़ी से दुरुपयोग करने का सबूत नहीं दिया जाता।

b) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट से जुड़े सभी विवादत लेनदेन की जानकारी विवादित लेनदेन की तारीख के पंद्रह (15) दिनों के भीतर यस बैंक द्‌वारा बनाये गये ग्राहक सेवा केंद्र को देना जरूरी होगा। ग्राहक यह मानता है कि विवादित लेनदेन की तारीख से 15 दिनों के बाद, किसी भी अनुरोध को यस बैंक द्‌वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

XIII. सामानों और सेवाओं की गुणवत्ता

a) किसी भी सामानों की खरीद या ली गयी सेवाओं को लेकर किसी व्यापारी प्रतिष्ठान के खिलाफ किसी शिकायत या विवाद को ग्राहक को व्यापारी प्रतिष्ठान से सीधे हल करना होगा।

XIV. प्रकटीकरण

a) ग्राहक स्वीकार करता है और ग्राहक से संबंधित सूचनाओं को किसी अन्य बैंक या वित्तीय या वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों के साथ प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के उपयोग के लिए साझा करने की सहमति देता है।

b) ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत है कि यस बैंक ग्राहक की किसी भी गलतियों और/ या प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के उपयोग की जानकारी किसी भी अन्य बैंक या वित्तीय या वैधानिक या विनियामक प्राधिकरणों को रिपोर्ट कर सकता है। यस बैंक इस तरह के प्रकटीकरण की सीमा सहित ग्राहक को ऐसे बैंकों या वित्तीय या वैधानिक या विनियामक प्राधिकरणों के विवरण का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

c) ग्राहक इस प्रकार यस बैंक और उसके एजेंटों को और यस बैंक की समूह कंपनियों या समबद्‌धों के साथ ग्राहक का विवरण और भुगतान इतिहास से संबंधित सभी सूचनाओं का आदान-प्रदान, साझा या साझा करने के लिए अधिकृत करता है।

XV. कानून संचलन और अधिकार क्षेत्र

a) इन नियमों और शर्तों के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा और इनका निपटारा मुंबई के न्यायालयों के विशिष्ट क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

XVI. इन नियमों और शर्तों को परिवर्तित करना

यस बैंक प्रीपेड कार्ड/वॉलेट पर उपलब्ध सुविधाओं और लाभ, नियम और शर्तों को बदलने का एकाधिकार सुरक्षित रखता है, इसमें ब्याज प्रभार या दरों और गणना की विधियां शामिल हैं लेकिन सीमित नहीं हैं।

a) यस बैंक अपनी वेबसाइट, www.Yesbank.in/ www.YuvaPay.com/ पर होस्ट करके या यस बैंक द्‌वारा तय किए गए किसी भी अन्य तरीके से संशोधित नियमों और शर्तों की जानकारी देगा।

b) ग्राहक इन नियमों और शर्तों की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे, इसमें संशोधन शामिल होंगे, जिनको यस बैंक की वेबसाइट: www.yesbank.in पर पोस्ट किया जा सकता है और प्रीपेड कार्ड/वॉलेट का उपयोग जारी रखने के लिए संशोधित नियम और शर्तों को स्वीकार माना जाएगा।

XVII. शुल्क की अनुसूचि

FEES	AMOUNT
Wallet Issuance	No Fee
Wallet (P2P)	No Fee
Wallet (P2M)	1% on Every Transaction (Merchant need to bear this cost)
Wallet Balance Withdrawal	5% of the transaction Amount
Wallet to Bank Transfer	5% of the transaction Amount

यहां पर निहित कुछ भी, यस बैंक, प्रीपेड कार्ड/वॉलेट के माध्यम से किसी भी लेन-देन पर प्रथागत कानूनों के तहत आवश्यक होने पर टैक्स स्रोत पर कटौती करने से नहीं रोक सकता है।

XVIII. ग्राहक शिकायत निवारण

a) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट और/ या इन नियमों और शर्तों के संबंध में किसी विवाद या शिकायत की स्थिति में ग्राहक यस बैंक के 24 घंटे काम करने वाले ग्राहक सेवा नम्बर 1800 103 5485/1800 3000 1113 या ई-मेल: YuvaPay.support@yesbank.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

b) प्रीपेड कार्ड/वॉलेट और/ या इन नियमों और शर्तों के संबंध में किसी विवाद या शिकायत का संज्ञान और निपटारा यस बैंक ग्राहक सेवा द्वारा ना किये जाने पर ग्राहक यस बैंक नोडल अधिकार से सम्पर्क कर सकता है जिनका विवरण यस बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

c) यस बैंक सहमत है कि ग्राहक द्वारा संज्ञान में लाई गए सभी शिकायतों, विवादों या परिवेदनाओं को समयबद्ध तरीके से संबोधित किया जाएगा और/ या हल किया जाएगा।

d) ग्राहक शिकायत निवारण के लिए किसी भी समय बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है।